



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-I का कार्यालय, महाराष्ट्र
OFFICE OF THE PR. ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-I, MAHARASHTRA

2रीमंजिल, प्रतिष्ठाभवन, न्यूमरीनलाईन्स

101, महर्षिकर्वेमार्ग, मुंबई- 400 020

दूरध्वनी: (022) 2203 9680 फ़ैक्स: 2208 6984

Email: agaeMaharashtra1@cag.gov.in

2nd Floor, PratishthaBhavan, New Marine Lines

101, MaharshiKarve Road, Mumbai - 400 020

Tel: (022) 2203 9680 Fax: 2208 6984

Website: <https://cag.gov.in/ae/mumbai/en>

No. Admn-I/Promotion/Accountant/2025/163

Date:- 09-01-2025

OFFICE ORDER

श्रीमती रितिका पपनोई, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड-ए, जो वर्तमान में महालेखाकार (लेखा व हकदारी) का कार्यालय, गुजरात, अहमदाबाद में प्रतिनियुक्ति पर हैं, को नेक्सट बिलो रूल एफ. आर. 22 के तहत प्रोफार्मा आधार पर केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2016 के वेतन मैट्रिक्स (29200-92300) के वेतन स्तर 5 में लेखाकार के संवर्ग में कार्य करने के लिए पदोन्नत किया जाता है, जो दिनांक 01-01-2025 पूर्वाह्न से अर्थात् उनके कनिष्ठ, श्री अनिल कुमार की पदोन्नति की तिथि से प्रभावी होगा।

Smt. Ritika Papnoi, Data Entry Operator Grade-A, who is currently on deputation to O/o the Accountant General (A&E), Gujarat, Ahmedabad Branch is hereby promoted to officiate in the cadre of Accountant in the Level 5 of Pay Matrix (29200-92300) of CCS (Revised Pay) Rules 2016 on proforma basis under Next Below Rule FR 22 with effect from 01-01-2025 F.N. i.e. from the date of promotion of her junior, Shri Anil Kumar.

श्रीमती रितिका पपनोई, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड-ए को लेखाकार के संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के अंदर वेतन नियतन के लिए उन्हें विकल्प का चयन करना होगा।

Smt. Ritika Papnoi, DEO Grade-A, will have to exercise her option for fixation of pay in the cadre of Accountant within one month of assumption of charge.

केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन दिनांक 19/05/2009 के अनुलग्नक के पैरा 25 के अनुसार पदोन्नति के लिए मना करने पर, संशोधित सुनिश्चित कैरियर उन्नयन योजना (एम.ए.सी.पी.) के तहत उनको वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

In the event of refusal of promotion, the official will not be eligible to be considered for financial up-gradation under the MACPS in terms of para 25 of Annexure to DoPT O.M. dated 19-05-2009.

उपरोक्त पदोन्नति आगे के आदेशों के अधीन है जो केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन संख्या 36012/11/2016-Estt.(Res-I) (Pt-II) दिनांक 15.06.2018 में संदर्भित विशेष अनुमति याचिका के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।

The above promotion is subject to further orders which may be passed by the Hon'ble Supreme Court in respect of the Special Leave Petition as referred to in DoPT O.M. No. 36012/11/2016-Estt.(Res-I) (Pt-II) dated 15-06-2018.

(Authority: Principal Accountant General's order dated: 24-12-2024)

Sd/-

Senior Deputy Accountant General /Admn

166